>

Title: Need to streamline the functioning of MPLADS in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): नियम 377 के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के विकास एवं बुनियादी सुविधाएं दिलाने के संबंध में जो प्रस्ताव संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के तहत जिला प्रशासन को देती हूं उसमें अनावश्यक देरी की जाती है जिसके कारण प्रतापगढ़ के नागरिकों को प्रस्ताव के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है एवं उक्त सुविधाओं को दिलाने में देरी के लिए आये दिन सांसदों को सुनना पड़ता है। अगर प्रतापगढ़ जिला प्रशासन दिये गये प्रस्तावों को एक निर्धारित समय अवधि में मंजूर करे तो संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के माध्यम से समुचित समय पर बुनियादी सुविधाएं दिलाई जा सकती है। जब कार्य पूरा हो जाता हे तो काम करने वाली एजेंसियों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और एजेंसियां बार-बार भुगतान समय पर नहीं होने पर सांसदों से शिकायत करती रहती है। साथ ही साथ एजेंसियां संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के अंतर्गत ठीक ढंग से काम नहीं करती है उनकी शिकायत करने पर प्रतापगढ़ जिला प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही नहीं करता।

सरकार से अनुरोध है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड में प्रस्तावों को एक नियम अवधि में प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने एवं एक निश्चित अवधि ही में किये गये कार्यों का भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश दिये जाऐ। अगर इस संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के संबंध में किसी अधिकारी के कार्यकरण पर सांसद शिकायत करे तो उस पर केन्द्र द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि यह फंड संसद सदस्य स्थानीय विकास फंड के तहत केन्द्र सरकार देती है।